



न्यायालय माननीय म,प्र, राजस्व मण्डल ग्वालियर म,प्र,
प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

आवेदकगण

पा|भारती|मुरैना|श्रृङ्खला|२०५|३५।१

- 1- लाला पुत्र गोविन्दा जाति शाक्य
व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा
तहसील सवलगढ जिला मुरैना म,प्र,
- 2 चेउं पुत्र गोविन्दा जाति शाक्य
व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा
तहसील सवलगढ जिला मुरैना म,प्र,

बनाम

अनावेदकगण

दिनांक २०-७-१७ को
प्रा. क्र. को २४१८ कार्यालय
क्र. ६९२ श्रृङ्खला

- 1- म,प्र, शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना
कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर मुरैना म,प्र,
- 2- तहसीलदार,
तहसील सवलगढ जिला मुरैना

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म,प्र, भू राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध अपर आयुक्त संचल संभाग मुरैना के पीठासीन अधिकारी
श्री आर. बी. प्रजापति द्वारा प्रकरण क्रमांक 205-2015-16 अपील
महेश विरुद्ध म,प्र, शासन में पारित आदेश दिनांकी 20,06,17
जिसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला मुरैना द्वारा
प्र.क्र 43/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांकी 19,08,2014
को यथावत रखा जाकर तहसीलदार सवलगढ द्वारा प्र.क्र. 77/
2012-13/अ में पारित आदेश दिनांकी 18,02,14 को यथावत
रखा गया है। जिससे दुष्खित होकर यह यह याचिका प्रस्तुत है।

माननीय

C.F.
२८/९/१८

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य -

यह कि पटवारी हल्का नम्बर 54 तिन्दोली सबलगढ के मंदिर से
लगी भूमि सर्वे क्रमांक 331 रकवा 0.19 आरे पर आवेदकगण को
अतिकामक मान्य करते हुये बेजा कब्जा किये जाने पर विचारण न्यायालय
तहसीलदार सवलगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/2012-13/अ-88 दर्ज
करते हुये आदेश दिनांक 18,02,2014 से आवेदक को उक्त भूमि से
बेदखल कर रुपये 20,000/- का अर्थदण्ड से आरोपित किया गया तथा
आरोपित अर्थदण्ड जमा नहीं किये जाने पर म,प्र, भूराजस्व संहिता 1959
की धारा 248 के तहत सिविल जेल की कार्यवाही प्रतावित कर प्रकरण
अधिनियम न्यायालय अधिकारी अनुभाग सबलगढ जिला
मुरैना को भेजा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा०/2017/3419

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४-१०-२०१७	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक २०५/२०१५-१६ अपील में पारित आदेश दिनांक २०-६-१७ के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>३/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि विवादित भूमि पर आवेदकगण पूर्वजों के जमाने से खेती करते चले आ रहे हैं एंव पिता से यह भूमि विरासत में प्राप्त है जिसके कारण वह अतिकामक नहीं है अपितु भूल से भूमि पर शासन अंकित हो गया है मौके पर आवेदकगण की गेहूँ की फसल खड़ी है, परन्तु तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर विचार न करने में भूल की है। भूमि पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण आवेदक का विवादित भूमि पर स्वत्व है जिसके कारण निगरानी सुनवाई में ग्राह्य की जावे।</p> <p>४/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि शासकीय अभिलेख में पट्टवारी हलका नंबर तिन्दोली सवलगढ़ स्थित भूमि स०क० ३३१ रकबा ०.१९ आरे, ३३२ रकबा ०.३१ आरे मंदिर श्री राधाकृष्ण जी देवस्थानी प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश दिनांक २०-६-१७ के पद ४ में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है -</p>	

” अधीनस्थ व्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग सबलगढ़ कारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2014 में उल्लेख किया है कि यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि भूमि मंदिर की होकर औकाफ विभाग की है जिसके प्रबंधक कलेक्टर मुरैना है। देवस्थानों की भूमि देवस्थानों की सेवा पूजा एवं देखरेख के लिये लगाई गई है किन्तु अपीलांट के आधिपत्य के चलते भूमि का उपयोग देवस्थान के हित में नहीं हो रहा है इस प्रकार मौजा सिन्दोली की भूमि स०क० 331 रक्षा 0.19 आरे पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा प्रमाणित होने से अधीनस्थ व्यायालय कारा उसको बेदखल कर और अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई भूल नहीं की गई है ”।

स्पष्ट है कि आवेदकगण मंदिर श्री राधाकृष्ण जी की भूमि प्रबंधक कलेक्टर पर बेजा कब्जा किये हुये हैं एवं बेजा कब्जा प्रमाणित होने के आधार पर आवेदक पर अर्थदण्ड की कायमी एवं बेदखली के आदेश हुये हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने तहसीलदार सबलगढ़ के आदेश 18-2-2014 में निकाले गये निष्कर्षों को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ व्यायालयों कारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश न होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है।



सुदर्शन